

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्  
**MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL**

(Estt. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)  
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786  
Fax : (0755) 2551568  
Email: registrar.mpmc@mp.gov.in



F-7, Sanchi Complex,  
Opp. Board Office,  
Bhopal (MP) 462 016  
www.mpmcmedicalcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी/कोविड-19/2020/2.

भोपाल, दिनांक: 29/4/2020

// आदेश //

कोविड-19 राष्ट्रीय आपदा की विशेष परिस्थिती में राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन तथा आवागमन अवरुद्ध होने के कारण चिकित्सा छात्र पंजीयन एवं अन्य प्रमाण-पत्रों हेतु आवश्यक औपचारिकताएं समय-सीमा में पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण विलंब शुल्क दिये जाने की स्थिति आवेदकों के समक्ष उत्पन्न हो रही है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा ऐसे चिकित्सा छात्र जिन्होंने एमबीबीएस (फायनल) अंतिम वर्ष की परीक्षा फरवरी/मार्च, 2020 में उत्तीर्ण की है/ऐसे चिकित्सा छात्र जिन्होंने अपनी इन्टर्नशिप मार्च, 2020 में पूर्ण की है, को विलंब शुल्क में 30/9/2020 तक की छूट प्रदान की जाती है।

अतः अब उक्त चिकित्सा छात्रों के आवेदनों पर 30/9/2020 तक किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क लागू नहीं होगा।

(डा० सुबोध मिश्रा)  
रजिस्ट्रार

म0प्र0 मेडिकल कौंसिल:भोपाल

भोपाल, दिनांक: 29/4/2020.

क्रमांक एमपीएमसी/कोविड-19/2020/3.

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश एवं पदेन अध्यक्ष मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त शाखा, म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल भोपाल।
5. भण्डार शाखा, म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल की और कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. श्री आयुष तिवारी-बिजनेस एनालिस्ट, एम0पी0 ऑनलाईन भोपाल की और आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आदेश नस्ति।

(डा० सुबोध मिश्रा)  
रजिस्ट्रार

म0प्र0 मेडिकल कौंसिल:भोपाल